

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग-2
संख्या— /XII(2)/ 2015/ 90(25)2013
दिनांक देहरादून 24 मार्च, 2015
कार्यालय-आदेश/प्रोन्नति

लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति एवं उत्तर प्रदेश जिला परिषद (केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग) नियमावली, 1966 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में विहित व्यवस्था के तहत श्री अशोक शर्मा, कनिष्ठ अभियंता, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल को चयन वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के सापेक्ष अभियंता के रिक्त पद पर वेतनमान—15,600—39,100 /—ग्रेड पे—5400 में पदोन्नत करते हुए जिला पंचायत चमोली में अभियंता के पद पर तैनात किया जाता है।

- 2— श्री अशोक शर्मा, अभियंता को योगदान की तिथि से एक वर्ष की परीविक्षा अवधि में रखा जाता है। अभियंता में उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता पृथक से निधारित की जायेगी।
- 3— श्री अशोक शर्मा, अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वे जनपद चमोली में तत्काल योगदान देते हुए अपनी योगदान आख्या शासन/निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 4— यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या 267/XII(2)/ 2015/ 90(25)2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—निजी सचिव, मांत्री पंचायतीराज विभाग को मांत्री पंचायतीराज महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 2—सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या— 467/01/डी०पी०सी०/सेवा-02/2014-15, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के क्रम में सूचनार्थ।
- 3—आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4—निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5—जिलाधिकारी, जनपद— टिहरी गढ़वाल/चमोली।
- 7—संयुक्त निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक पंचायतीराज निदेशालय, देहरादून।
- 8—अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल/चमोली।
- 9—वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल/चमोली।
- 10—संबंधित अधिकारी।
- 11—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय लिथोप्रेस रुड़की, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को आसाधारण गजट के अगले अंक में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 12—गार्ड फाईल।

(हरबंस सिंह चुध)

निदेशक पंचायतीराज

उत्तराखण्ड—देहरादून

26/3/15

३०३०३०
३०३०३०
३०३०३०
३०३०३०
३०३०३०
३०३०३०

आज्ञा से

(हरबंस सिंह चुध)

अपर सचिव।